UPRN180023522022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर, कानपुर देहात ।

प्रा०पत्र सं०-457/2022

अ०सं०- 255/2020

सरकार बनाम राजेश आदि ।

धारा-452,323,504 भा०द०सं०

थाना-सजेती, कानपुर नगर ।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्ता श्रीमती ज्ञान श्री उर्फ रेखा द्वारा अ०सं० - 255/2020 धारा-452,323,504 भा०द०सं० थाना-सजेती,कानपुर नगर में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र ,अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है ।

अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में साजिशन फंसाया गया है । अभियुक्ता ने किसी प्रकार कोई अपराध कारित नहीं किया है । अभियुक्ता की ओर से जमानत की याचना की गयी है ।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत करते हुए जमानत का विरोध किया गया ।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्ता को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना तथा सम्बन्धित थाने से अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास मंगाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः अभियुक्ता द्वारा रू० बीस हजार की दो जमानतें तथा समान धनराशि का निजीबंधपत्र दाखिल करने पर अभियुक्त को दिनांक 11-11-2022 तक के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाए । मूल जमानत प्रार्थना पत्र सुनवायी हेतु दिनांक 11-11-2022 को पेश हो । अभियुक्ता दिनांक 11-11-2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो । सम्बन्धित थाने से नियत दिनांक तक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मंगाया जाए ।

दिनांक 12-10-2022

(अनुराग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No.UP 3268

Digitally signed by ANURAG
Date: 2022.06.29 18:08:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court